Dr. Nishat Jhan
20/5/20

LL.B VI Sem
legal language

[11]

वैश्वीकरण

विश्व अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण (भूमण्डलीकरण) अपरिहार्य वास्तविकता बन गया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भावार्थों का प्रयोग अर्थशास्त्रीय और व्यापार विधिशास्त्र में खुले कंठ से किया जा रहा है। अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल जुआँन सोमाविया ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को 'जुआगृह पूँजीवाद' (CASINO CAPITALISM) की संज्ञा दिया है। यह सामान्य धारणा है कि वैश्वीकरण ने समृद्धिशाली राष्ट्रों और बहुराष्ट्रीय निगमों को ज्यादा लाभ पहुँचाया है। वैश्वीकरण के बारे में कहा जाता है कि आर्थिक व्यवस्था में इसने नयी असाम्याओं (INEQUITIES) को उत्पन्न किया है। यह सम्पन्न और गरीब देशों, विकसित और अविकसित या विकासशील देशों के बीच मतवैभिन्य को बढ़ावा दिया है। पश्चिम के विकसित राष्ट्र स्वतंत्र व्यापार और वैश्वीकरण के एजेण्डा पर विशेष जोर दे रहे हैं। विकासशील देश वैश्वीकरण में सावधानी और साम्या की आवश्यकता पर विशेष बल दे रहे हैं।

शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से वैश्विक (GLOBAL) का तात्पर्य पूरे विश्व में फैले या पूरी दुनिया या लोगों को प्रभावित करने से है। आज के युग में वैश्वीकरण का प्रयोग व्यापार के वैश्वीकरण के रूप में प्रचलित है। वैश्वीकरण का तात्पर्य धन, सामग्री, प्रौद्योगिकी और श्रम के स्वतंत्र संवहन से है। वैश्वीकरण के प्राथमिक औजार विश्वव्यापी निगम हैं। ऐसे निगमों को लोकप्रिय तौर पर बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) और बहिर्राष्ट्रीय निगमों (Transnational Corporation TNCs) का नाम दिया गया है। ऐसे निगम बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं ऐसे निगमों का प्राथमिक उद्देश्य विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था और एकीकरण इस तरह से करना है कि वैश्विक लाभ को अधिकतम बढ़ाया जा सके। बहुराष्ट्रीय और बहिर्राष्ट्रीय निगमों के विकास का प्रमुख आधार आर्थिक नीति में उदारीकरण का अपनाया जाना है। उदारीकरण और वैश्वीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

वैश्वीकरण का आदर्श पूँजी, सामग्री प्रौद्योगिकी और श्रम के स्वतंत्र संवहन आसानी से पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं विश्व के देशों की अपनी-अपनी शर्तें (Reservations) हैं। विकसित और अविकसित देशों में स्पष्ट मनमुटाव है। विकसित राष्ट्र पूँजी और सामग्री के स्वतंत्र प्रवाह पर ज्यादा से ज्यादा बल दे रहे हैं। उनका इस बात पर जोर है कि पूँजी का पूरे विश्व में स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए। विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे जहाँ चाहें वहाँ पूँजी का निवेश कर सकें। उद्यमकर्ताओं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिये स्वतंत्र होना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे जब और जहाँ चाहें पूँजी का निवेश करें और जब चाहें उसे वापस ले लें। विकसित देशों का इस बात पर भी जोर है कि सामग्री का स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए और स्वतंत्र सामग्री व्यापार कम से कम सीमा शुल्क के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ विकासशील देशों का जोर प्रौद्योगिकी और श्रम के अबाध प्रवाह पर है। उनका अबाधित प्रौद्योगिकी के प्रवाह पर इसलिये जोर है कि प्रौद्योगिकी पर सभी देशों की समान पहुँच होनी चाहिए। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि श्रम का भी अबाधित प्रवाह होना चाहिए जिससे कि मानव शक्ति का उचित उपयोग किया जा सके। परन्तु विकसित देश विरोध करते हैं। विकासशील देशों के लिये वैश्वीकरण की संतति—बहुराष्ट्रीय और बहिर्राष्ट्रीय निगमों की सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में अपेक्षा अत्यन्त लुभावनी है। इसलिये ऐसे निगम विकासशील देशों को ज्यादा उर्वर पाते हैं क्योंकि बिना कठोर पर्यावरणीय विनियमों के उनका विकास हो सकता है। उनके लिये कच्ची सामग्री और सस्ता श्रम भी आसानी से उपलब्ध रहता है। पूँजी निवेश के माध्यम से विकसित देश विकासशील देशों पर अपने उत्पादनों और विचारों को अधिरोपित करते हैं और उपयोग के ढर्रे में परिवर्तन करते हैं।

वैश्वीकरण का अपनी स्वयं का प्रभाव है। इसने एक ऐसे विश्व की संरचना की है जिसमें 15 सबसे बड़े निगमों की कुल आय 120 देशों की कुल आय से ज्यादा है। आजकल समस्या यह है कि क्या वैश्वीकरण केवल व्यापार के वैश्वीकरण तक सीमित रहेगा या इसके अन्तर्गत अर्थपूर्ण बचावों, दायित्वों और प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के विकास को भी सम्मिलित किया जायेगा ? धूम्र, उष्मा, बीयर के डिब्बे, अकार्बनिक

2.

उर्वरक, कीटनाशक, रासायनिक और परमाणविक कचरे, समाप्त होते वन, ओजोन परत का अपक्षय, वैश्वीकृत प्रौद्योगिक विकास के उप-उत्पाद हैं। निगमीय अतिलोलुपता की अनेक भयोत्पादक कहानियाँ हैं। उदाहरण के लिये सैण्डोज द्वारा राइन नदी में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण और बुरादा का फेंकना, भोपाल की यूनियन कारबाइड त्रासदी, ए० एच० राबिन्स डाक द्वारा हजारों महिलाओं को बांझ बनाने की घटना, जानमैन विले द्वारा एम्बेस्टस की जहर घोलने वाली घटना इत्यादि। यही कारण है कि ब्रिटिश पर्यावरणीय वैज्ञानिकों की सभा में घोषणा किया गया कि आज का औद्योगिक व्यक्ति एक बेकाबू साड़ (Bull in China shop) की तरह है। प्रकृति पर सतत विजय पाने की योजना के कारण उसने कम से कम समय में सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है।

बहुराष्ट्रीय अथवा बहिर्राष्ट्रीय निगमों की लाभ लोलुपता बहुत अधिक है। वे किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस कर सकते हैं, जैसा कि हाल के समय में मध्य और पूर्वी एशियाई देशों में हुआ है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने दो तरह के निवेशों पर जोर दिया है— पोर्ट फोलियो निवेश और पूँजी संपरिवर्तनीयता। प्रथम तरह के निवेश उन्हें क्रय करने और विक्रय करने की अनुमति देते हैं। वे किसी देश के व्यापार में धन का निवेश जारी रख सकते हैं और अपनी इच्छा पर वापस ले सकते हैं। दूसरे तरह के निवेश में वे आश्वासन चाहते हैं कि यदि वे अपने निवेश को समाप्त करना चाहते हैं तो उनके द्वारा निवेशित पूँजी को अपेक्षित विदेशी मुद्रा में लौटा दिया जाय। निवेश पर बहुपक्षीय करार (M A I) की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। अभी यह लागू नहीं हो सका है। ऐसी विचारधारा विध्वंसकारी साबित होगी। यदि मेजबान देश निर्बन्धनों के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निवेश की अनुमति नहीं देगी तो अनिवेश से काल्पनिक रूप में उत्पन्न क्षति के प्रतिकर का उसके ऊपर दायित्व थोपा जायेगा। विकसित देश बौद्धिक सम्पदा—उत्पाद पेटेण्ट और प्रक्रिया के नाम में दादागिरी (Big Bossism) थोपना चाहते हैं। भारतवर्ष बासमती चावल के सम्बन्ध में अमेरिका द्वारा पेटेण्ट थोपे जाने के प्रयास का सामना कर रहा है।

वैश्वीकरण ने विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में प्रदूषण और खतरनाक प्रौद्योगिकी निर्यातित करने का द्वार खोल दिया है। वैश्वीकरण के कुप्रभाव को विश्व समुदाय द्वारा महसूस किया गया है। बहुराष्ट्रीय निगम जिस देश में कार्य कर रहे हैं उस देश की संप्रभुता को भी प्रभावित कर रहे हैं। विकासशील देश नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिये शोर मचाते रहे हैं। यही कारण था कि बहिर्राष्ट्रीय निगमों के आचरण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र ने आचरण संहिता का प्रारूप तैयार किया। इसके द्वारा मेजबान देश के नागरिकों के मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं तथा संप्रभुता, पर्यावरण अनुरक्षण से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के सम्यक सम्मान और उत्पाद प्रक्रिया और अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में संगत सूचना बताने के कर्तव्य की अपेक्षा की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक आश्रितता विकसित हुई है। उदारीकरण ने व्यापार और टैरिफ पर सामान्य करार (GATT) की आवश्यकता उत्पन्न किया परन्तु GATT एक दंतविहीन संस्था साबित हुई क्योंकि इसकी कार्यवाहियाँ केवल सहमति और अनुनय पर आधारित थीं। परिणामतः विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करनी पड़ी। इसके विवाद सुलझाने के तंत्रीकरण और निगरानी सभी सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी हैं। यह विधि के शासन की स्थापना करने में सक्रिय है जिसमें उदारीकरण के उद्देश्य के साथ सदस्य राज्यों के बीच अविभेदकारी व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। विश्व व्यापार संगठन के 135 राष्ट्र सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन आवश्यक शुल्कों की अदायगी पर खुले सामान्य अनुमति पत्रों पर जोर देता है। इसने भारतवर्ष को मजबूर किया है कि सन् 2000 तक खुला व्यापार सुनिश्चित करें और कम से कम वस्तुओं पर परिमाणात्मक निर्बन्धन लगावें। परिमाणात्मक निर्बन्धनों के न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष ने आयात कर में वृद्धि की। विश्व व्यापार संगठन सदस्य राज्यों के बीच विभेदीकरण की अनुमति नहीं देता और करारोपण में एकरूपता पर जोर देता है।

विश्व व्यापार संगठन सदस्य राज्यों के बीच मूल्य कम कर बेचने (Dumping), लागत में कमी, विभेदीकरण और पेटेण्ट से सम्बन्धित विवादों के सम्बन्ध में विवाचन करता है। विकासशील देशों ने

सफलतापूर्वक बहुफाइवर करार द्वारा अधिरोपित निर्बन्धनों के प्रभाव को अप्रभावकारी बना दिया है। इसी तरह **कोस्टारिका** बनाम **संयुक्त राज्य** तथा **भारत** बनाम **संयुक्त राज्य** के मामलों में विश्व व्यापार संगठन ने अमेरिका के विरुद्ध विकासशील देशों की शिकायतों के बारे में सफल उपचार प्रदान किया है। यह पूर्व के अनुभव से द्रष्टव्य विकास है। पहले विकासशील देशों के पास साहस नहीं जुट पाता था कि वे विकसित देशों द्वारा किये जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को चुनौती दें। इसके लिये उन्हें बदला और आर्थिक नुकसानी का भय था। अब वे सफलतापूर्वक ऐसे कृत्यों को विश्व व्यापार संगठन के समक्ष चुनौती कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन बहुपक्षीय विधिक शासनकाल में विकसित और विकासशील देशों के व्यापारिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय कर रहा है। विकासशील देशों की आर्थिक दादागिरी को समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन अनूठी प्रकृति खण्ड (Sui Generis clause) को विकसित कर रहा है जिसके द्वारा किसी वस्तु के भौगोलिक मूल को अप्रभावित रखे रहना सुनिश्चित किया जाता है।

परन्तु विश्व व्यापार संगठन के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। वैश्वीकरण राज्यों की संप्रभुता और लोगों की स्वतंत्रता के लिये नया खतरा उत्पन्न कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की आर्थिक त्रासदी को ध्यान में रखते हुए रीता मनचंदा ने टिप्पणी की है : "आर्थिक वृद्धि और सक्षमता वैश्वीकरण का मंत्र है, सीमा विहीन पूँजी इसका ईंधन है, अनियोजन में वृद्धि, मजदूरी का अल्पीकरण और राज्यों के बीच और राज्यों में आय और कल्याण में विषमतायें इसकी कीमत हैं।" अभी हाल में चौदहवें विश्व व्यापार संघ कांग्रेस ने उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन की श्रमिकों के अधिकारों और हितों पर कुप्रभाव डालने के लिये आलोचना की है। इसका जोर है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर आधारित सभी देशों के अधिकारों की समानता सुनिश्चित करने के लिये नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा को प्रभावकारी बनाया जाय। इसने आशंका व्यक्त किया है कि नव उदार वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय संप्रभुता को नजरअंदाज किया जा रहा है और नव उपनिवेशवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के तृतीय मिनिस्ट्रीयल सम्मेलन (जो सिएटल में हुई) की असफलता का स्पष्ट संदेश है कि विकासशील देश विकसित देशों के छद्म संरक्षणवाद को सहन नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास के दशवें बैंकाक सत्र में यह निष्कर्ष निकाला गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार और विकास पर सम्मेलन (UNCTAD), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (IMF) और विश्व बैंक की गतिविधियों का परिणाम हुआ है कि विकसित देश और बहुराष्ट्रीय निगम ज्यादा फायदे में रहे हैं। किस तरह उदारीकरण द्वारा विकसित और विकासशील देशों में पनपाये गये अन्तराल और मतवैभिन्य को समाप्त किया जाय और वैश्वीकरण में साम्या को सुनिश्चित किया जाय, वैश्वीकरण नीति के समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न है।